

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 180/2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2020/00212

दायर दिनांक :- 02.12.2020

निर्णय दिनांक :- 18.11.2024

1. मनोहरराम पुत्र मुलतानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थी / वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

—प्रार्थी / प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी**

उपस्थित :- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता वादी / अप्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रार्थी / प्रतिवादी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी / प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादी द्वारा उपरोक्त अनवान का वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगणों को हर वर्ष समय-समय पर सरकारी भूमि से बेदखल किया है तथा वादी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षों तक कब्जा काश्त नहीं रहने से विवादित भूमि पर वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का वादी को वाद कारण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से पूर्व वादी द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है जिसके अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से इस स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा सरकारी भूमि पर लम्बे समय से खातेदारी अधिकार घोषित किये जानें की मांग की गई है जबकि समय-समय पर माननीय हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय से वादी को Adverse Possession के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं तथा गिरदावरी रिपोर्ट से किसी भी खातेदार को खातेदारी हक अधिकार पैदा नहीं हो सकते हैं। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अन्य कोई आधार मौजूद नहीं होने से उपरोक्त अनवान का वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं है तथा वाद कारण पैदा नहीं होने के अभाव में तथा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में वादी का वाद इस स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

18.11.24
कलक्टर
(फलोदी)

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. का जवाब न पेश करते हुये बहस करने का निवेदन किया। बहस अधिवक्ता वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सुनी गई। पत्रावली में संलग्न वाद पत्र, प्रार्थना पत्र, गिरदावरी इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है—

1. वादपत्र अनुसार वादी के पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काशत चला आ रहा है और वर्तमान में वादी का सरहद मौजा हनुमाननगर पटवार क्षेत्र कानासर के खसरा नम्बर 219 रकबा 2008-14 बीघा में संलग्न नक्शानुसार रकबा 40-00 बीघा जो कि वादग्रस्त भूमि है पर कब्जा काशत है। बाप तहसील के कुछ गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र में लिया गया है जिनमें पटवार मण्डल कानासर भी सम्मिलित है। उपनिवेशन विभाग के क्षेत्राधिकार में आये गांवों में कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधान है। इसलिये वादी को विधि अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इसलिये वादी ग्राम हनुमाननगर पटवार क्षेत्र कानासर के खसरा नम्बर 219 रकबा 2008-14 बीघा में संलग्न नक्शानुसार रकबा 40-00 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

तहसीलदार बाप के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है जिस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। वादकारण नहीं पैदा होने के कारण, प्रथम दृष्ट्या वाद साबित नहीं होने के कारण, 80 सी.पी.सी. नोटिस के अभाव में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि/सिवाय चक भूमि है। प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। तहसीलदार बाप के अनुसार विधि के प्रावधानानुसार समय-समय पर उक्त वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल किया जाता रहा है। 'प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी' के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:-

- i. आर.आर.डी. 2016 पेज 464/चेनाराम और अन्य विरुद्ध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अन्य-माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं।
- ii. आर.आर.डी. 2011 पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम पूर्ण पीठ निर्णय दिनांक 03.06.2011- इस निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि "Rajasthan Tenancy act does not have provision to confer tenancy right to adverse possessor. This bench also inter that providing tenancy right to adverse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy right is against the basic spirit of this special legislation."

- iii. आर.आर.डी. 2018 पेज 715 सरजू राव बनाम अमृतलाल पूण पीठ निर्णय दिनांक 30.08.2018— इस निर्णय में भी जगदीश बनाम सीताराम निर्णय का हवाला देते हुये माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।
- iv. बग्गा बनाम सुरेन्द्रसिंह माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ का निर्णय दिनांक 15.10.1990— प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। एक अतिचारी का कब्जा राज्य के विरुद्ध प्रतिकूल नहीं हो जाता है। एक खातेदार अभिधारी भी भूमि के स्वामित्व का अधिकार धारण नहीं करता, वह केवल पट्टेदार है, राज्य भू-धारक/भूमि का स्वामी बना रहता है। एक खातेदार अभिधारी को भूमि को धारित करने और उस पर खेती करने का अधिकार है जो कुछ शर्तों के अध्याधीन है। यदि उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य को उस भूमि को वापिस लेने का अधिकार है।
2. किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 12(2), 13, 15, 19, 189(2), 193, 194(2) व धारा 101 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 18 राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 और राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें 1955 की शर्त संख्या 9 के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकते है। निर्विवाद रूप से वादी ने उक्त किसी भी धारा के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अभिवचन नहीं लिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधिनियम के तृतीय अनुच्छेद में भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः न्यायालय के अभिमत में, वादी को वादकारण हासिल नहीं होने के कारण, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के प्रावधान नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



18.11.24
 (सुखाराम सिंह) सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी
 बाप (फलोदी)